

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0 सारण द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष -2016-17 अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल - 02 सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 548 दिनांक 15.06.2017 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्य0 अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन कार्यप्रमण्डल -02 सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर निम्नालिखित योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही निदेश है, कि निम्नांकित योजनाओं का संबंधित अंचलधिकारी से जमीन सरकारी होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

क्र०	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय सदस्य का नाम
1	सोनपुर	सबलपुर पूर्वी पंचायत के लालूप्रसाद यादव उच्च विद्यालय में पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य।	1312000.00	1312000.00	श्री रामानुज प्रसाद
2	"	भरपुरा पंचायत के चकदरिया सुल्तानपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य।	1326800.00	1326800.00	"
3	"	सोनपुर प्रखंड के कैम्पस में सभा भवन का निर्माण कार्य।	1554600.00	1554600.00	"
4	"	शाहपुर पंचायत के शाहपुर दियारा में माही नदी के किनारे घाट का निर्माण कार्य।	1567000.00	1567000.00	"
5	"	हासिलपुर पंचायत के शिव मंदिर के पास कला मंच का निर्माण कार्य।	1573900.00	1573900.00	"
6	"	बरियारचक दियारा में कालीस्थान के नजदीक चबुतरा का निर्माण कार्य।	329500.00	329500.00	"
7	"	कसमर पंचायत के छितरचक वार्ड नं० - 11 में रामबचन राय के पीपल पेड़ के नजदीक चबुतरा का निर्माण कार्य।	645256.00	645256.00	"
8	"	रसूलपुर पंचायत के गरीपट्टी चौक पर चबुतरा का निर्माण कार्य।	388400.00	388400.00	"
9	"	सबुलपुर पूर्वी पंचायत के चहारम शिवमंदिर के पास चबुतरा का निर्माण कार्य।	543000.00	543000.00	"
10	दिघवारा	दिघवारा नगर पंचायत के बस स्टैण्ड में उपरी तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	689300.00	689300.00	"
11	"	जयगोविन्द सिंह उच्च विद्यालय, दिघवारा दुर्गा स्थान के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	1680000.00	1680000.00	"
कुल योग:-			11609756.00	11609756.00	

(प्रशासनिक स्वीकृति की राशि):- एक करोड़ सोलह लाख नौ हजार सात सौ छपन्न रुपये मात्र।

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विभागीय / निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल-02 सोनपुर द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रभार प्रचार के द्वारा विभागीय / निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सतुष्ट हा लग एक स्थल।ववादग्रस्त नहा ह, तथा।कसा का निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पडती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओ का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक - 23.09.14 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जवाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक...452.../यो0 दिनांक...17/06/17

- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल -02 सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।